न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 06/2019

दायर दिनांकः 07.02.2019

निर्णय दिनांक 28.04.2025

—: अनवान :—

फतहलाल पिता जीतमल हिंगड (जैन) उम्र 65 वर्ष निवासी मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज.) के बजाय

1/1 श्रीमती लीलाबाई पत्नि स्व. फतहलाल निवासी मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
1/2 श्री पूनमचन्द पिता स्व. फतहलाल निवासी मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
1/3 श्री किरण कुमार पिता स्व. फतहलाल निवासी मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
1/4 श्रीमती नीतू पत्नि अल्पेश असासा निवासी केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
1/5 श्रीमती वंदना पत्नि महावीर कोठारी निवासी गिरगॉव मुम्बई

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता डालचन्द दादा भीमा जी मेहता (जैन) उम्र 75 वर्ष निवासी मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. तहसीलदार साहब, कुम्भलगढ़
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय राजसमन्द

— रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम एवं नियम 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व आवंटन नियम अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ़ नामान्तरकरण संख्या 598 दिनांक 10.07.1968 जिसके द्वारा रास्ते की भूमि का आवंटन (नियमन) किया गया उसे निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपस्थित :—

1— श्री संपत लाल लडढा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री डूंगर सिंह कर्णावट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व आवंटन नियम अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ़ नामान्तरकरण संख्या 598 दिनांक 10.07.1968 जिसके द्वारा रास्ते की भूमि का आवंटन (नियमन) किया गया उसे निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मजेरा, पटवार हल्का मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ की आराजी नम्बर 4600 संवत् 2005 के भू–बन्दोवस्त में रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज थी, जो रास्ते की भूमि होकर राजस्व रेकार्ड अनुसार भू–बन्दोवस्त में दर्ज होने से उस समय मौके पर रास्ता स्थित था। आराजी नम्बर 4600 में दर्ज रास्ते की भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित नहीं की जा सकती हैं, रास्ता तो वर्तमान में मजेरा से ओलादर व मजेरा की ढाणीयों में जाता है उस रास्ते की भूमि पर गाँव के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा राजनितीक एवं प्रशासनिक स्तर पर मिली भगत कर रास्ता की भूमि पर कब्जा कर अपने नाम पर आवंटन करा लिया जो आवंटन नियमो के विरूद्ध होने से मुझ अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत की गयी। अपीलान्ट द्वारा की गयी शिकायत पर हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा जाँच की गयी, जिस जॉच में आराजी नम्बर 4600/3 रकबा पोन बिस्वा भूमि का आवंटन नियमन रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम पर नामान्तरकरण से दर्ज किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर जॉच बयान एवं प्रस्तुत रेकार्ड से यह पाया गया कि चूंकि आराजी नम्बर 4600 बन्दोवस्त के समय बिलानाम रास्ता दर्ज रेकर्ड था। इस भूमि को बिना किस्म परिवर्तन किये किसी को भी आवंटन नियमन करने का अधिकार नहीं हैं। जॉच में यह भी पाया गया कि आराजी नम्बर 4600 मीन. बिलानाम रास्ता में से तत्कालिन तहसीलदार एवं भू–अभिलेख निरिक्षक पटवारी द्वारा किया गया आवंटन नियमन नियमो के विपरीत हैं। अपीलान्ट द्वारा शिकायत पर हुई जॉच के पश्चात समय समय पर सम्पर्क कर जॉच रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करा आराजी संख्या 4600 मीन. बिलानाम रास्ता की भूमि में जो आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या एक मांगीलाल के नाम पर किया गया है उसे निरस्त कराया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज कराये जाने हेतु निवेदन किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी आराजी नम्बर 4600 मीन. रास्ते की भूमि गैर काबिल कास्त दर्ज हैं रास्ते की भूमि का सार्वजनिक उपयोग होने से किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटन नियमन करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वर्तमान् दर्ज रास्ता मजेरा से ओलादर एवं मजेरा की ढाणीयों में जाने वाला होकर सडक केलवाड़ा चारभुजा के समीप स्थित होने से नियमों के विरूद्ध हुए आवंटन को निरस्त कराया जाना उचित एवं न्याय संगत हैं। अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2008 में रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा आराजी नम्बर 4600 रकबा पोन बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम गैर काबिल कास्त भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन चबुतरी व लेट्रीन टेक, पानी का टेंक बनाने का प्रयास किया जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सिविल न्यायालय में वाद पेश किया जिस दिवानी वाद का दिनांक 04.09.2013 को निर्णय मुझ अपीलान्ट के पक्ष में होकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा आराजी संख्या 4600 की किस्म गैर काबिल कास्त रास्ते की भूमि में बनाई गयी चुबुतरी लेट्रीन टेक, पानी का टेंक आदि को उसके नाम नियमो के विरूद्ध किये गये नियमन पर बनाये गये मकान के अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण को हटाये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की गयी। अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 17.09.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या दो से सम्पर्क कर रास्ते की भूमि पर आवंटन नियमन नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त कराया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या दो को बेदखल किये जाने की कार्यवाही कराये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो ने मौके पर मौखिक रूप से सूचित किया कि आप द्वारा की गयी शिकायत पर जॉच से आप संतुष्ट नहीं है तो आप इस मामले में जिला कलेक्टर के यहा अपील प्रस्तुत करें। जिनके द्वारा दिये गये आदेश की पालना हमारे द्वारा की जायेगी जिससे बिनाय मुकासमात अपील पेश हैं। अपीलान्ट द्वारा

अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर कोई देरी नहीं की गयी हैं, उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी शिकायत पर हुई जॉच पर कार्यवाही के मुगालते में रहने के कारण नामन्तरकरण निरस्त कराने की कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर सका इसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के विरूद्ध दिवानी वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस वाद में रेस्पेडेन्ट संख्या एक ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसका मकान रास्ते की जमीन के थोडे हिस्से में बना हुआ है। इस प्रकार मांगीलाल द्वारा की गयी सस्वीकृति के आधार पर उसका रास्ते की भूमि पर बने हुए मकान पर हुए आवंटन (नियमन) को निरस्त कराये जाने हेतु यह अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही हैं। अपील पेश करने में हुई देरी के निवारणार्थ धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है। आपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण की नकल दिनांक 17. 09.2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसी रोज प्राप्त होने से यह अपील अन्दर अवधि उचित न्याय शुल्क पर अधिकार अदालत आप समायत होने से प्रस्तुत हैं। आराजी नम्बर 4600 मीन. रास्ते की भूमि पर जो आवंटन (नियमन) रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा को नियमो के विरूद्ध किया गया हैं जिस नियमन को निरस्त कराया जाकर रास्ते की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा बनाये गये मकान को रेस्पोडेन्ट संख्या एक के खचे से हटवाया जाकर संवत् 2005 में भू–बन्दोवस्त के समय दर्ज रास्ते की स्थिती को बहाल रखाया जावे। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 598 दिनांक 10. 07.1968 का निरस्त फरमाया जाकर आराजी नम्बर 4600 रकबा पोन बिस्वा रास्ते की भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटवाया जाकर संवत् 2005 के भू–बन्दोवस्त अनुसार रास्ते की भूमि दर्ज कराई जाकर रास्ता बहाल कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह कर्णावट उपस्थित हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मजेरा, पटवार हल्का मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ की आराजी नम्बर 4600 संवत् 2005 के भू–बन्दोवस्त में रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज थी, जो रास्ते की भूमि होकर राजस्व रेकार्ड अनुसार भू–बन्दोवस्त में दर्ज होने से उस समय मौके पर रास्ता स्थित था। आराजी नम्बर 4600 में दर्ज रास्ते की भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित नहीं की जा सकती हैं, रास्ता तो वर्तमान में मजेरा से ओलादर व मजेरा की ढाणीयों में जाता है उस रास्ते की भूमि पर गाँव के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा राजनितीक एवं प्रशासनिक स्तर पर मिली भगत कर रास्ता की भूमि पर कब्जा कर अपने नाम पर आवंटन करा लिया जो आवंटन नियमो के विरूद्ध होने से मुझ अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत की गयी। अपीलान्ट द्वारा की गयी शिकायत पर हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा जाँच की गयी, जिस जॉच में आराजी नम्बर 4600/3 रकबा पोन बिस्वा भूमि का आवंटन नियमन रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम पर नामान्तरकरण से दर्ज किया गया। आराजी नम्बर 4600 मीन. रास्ते की भूमि गैर काबिल कास्त दर्ज हैं रास्ते की भूमि का सार्वजनिक उपयोग होने से किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटन नियमन करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वर्तमान् दर्ज रास्ता मजेरा से ओलादर एवं मजेरा की ढाणीयों में जाने वाला होकर सडक केलवाड़ा चारभुजा के समीप स्थित होने से नियमों के विरूद्ध हुए आवंटन को निरस्त कराया जाना उचित एवं न्याय संगत हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 598 दिनांक 10. 07.1968 का निरस्त फरमाया जाकर आराजी नम्बर 4600 रकबा पोन बिस्वा रास्ते की भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटवाया जाकर संवत् 2005

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के भू–बन्दोवस्त अनुसार रास्ते की भूमि दर्ज कराई जाकर रास्ता बहाल कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी को आवंटित नहीं की गई बल्कि उक्त भूमि का सन् 1968 में तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नियमन किया गया एवं अपीलार्थी जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है उस आदेश की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई। सन् 1968 में किये गये नियमन आदेश व नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा सन् 2019 में अपील प्रस्तुत की गई है जो कि 50 वर्ष से अधिक के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं विलम्ब हेतु कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया है रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि पर 50 वर्ष से निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा नियमन आदेश के अनुसरण में नियमानुसार नामान्तरण आदेश पारित किया गया। व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद से भी बाधित है अतः अपील मियाद से बाधित होने से खारिज फरमायी जावें। एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से भी खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा ग्राम मजेरा के नामान्तरणकरण संख्या 598 निर्णय दिनांक 10.07.1968 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रश्नगत अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि ग्राम मजेरा में स्थित वादग्रस्त आ. नं. 4600 संवत 2005 में भू–बन्दोवस्त में रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज थी, एवं उस समय मौके पर रास्ता स्थित था। आराजी नम्बर 4600 में दर्ज रास्ते की भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित नहीं की जा सकती हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि में से पौन बिस्वा भूमि नियम विरूद्ध आवंटित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 598 से दर्ज की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 598 दिनांक 10.07.1968 का निरस्त फरमाया जाकर आराजी नम्बर 4600 रकबा पोन बिस्वा रास्ते की भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटवाया जाकर संवत् 2005 के भू–बन्दोवस्त अनुसार रास्ते की भूमि दर्ज कराई जाकर रास्ता बहाल कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उक्त क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार कुंभलगढ़ ने ग्राम मजेरा के वादग्रस्त आ.नं. 4600 मीन में से पौन बिस्वा भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मांगीलाल के पक्ष में सन् 1968 में नियमन किया गया। उक्त आदेश की पालना में संबंधित पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मजेरा का प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 598 दर्ज किया गया व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 10.07.1968 को स्वीकार कर निर्णित किया गया। एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध सन् 2019 में अपील प्रस्तुत की गई। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा 50 वर्ष से अधिक अवधि के असाधारण विलम्ब से उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। एवं उक्त विलम्ब अवधि हेतु कोई ठोस कारण भी अपीलार्थी द्वारा नहीं बताया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में मियाद अवधि को कन्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद से बाधित पाये जाने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद से बाधित पाये जाने से खारिज किया जाता है ।

28/4

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद